

डिक्री वमुकदमें ईब्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 216/2019

1. सुमनदेवी पत्नी संदीप कुमार जाति विशनोई निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ। वादी

बनाम्


1. संदीप कुमार उर्फ कुलदीप पुत्र ख्यालीराम जाति विशनोई निवासी 3 केएसपी  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शालू पुत्री संदीप कुमार पत्नी देवदत्त जाति विशनोई निवासी 22 एन.पी रायसिंहनगर  
जिला श्रीगंगानगर।
3. सचिन पुत्र संदीप कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता संदीप कुमार पुत्र  
ख्यालीराम जाति विशनोई निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री  
महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व  
डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 3 केएसपी के खाता सं० 103  
में कुल 5.060 है० कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर  
चकनं० 3 केएसपी के खाता सं० 103 में से प्रतिवादी सं० 1 संदीप कुमार उर्फ कुलदीप  
कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।इसी अनुसार राजस्व  
अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने  
के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुक्लिक.....निल.....बावत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयायी तक \_\_\_\_\_  
.....अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ३-१-१९ को जारी  
किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी